बिहार सरकार
कृषि विभाग।

संकल्प

विषयः— नियोजित कृषि समन्वयकों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि दिये जाने की स्वीकृति।

कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु नियोजित कृषि समन्वयकों को अगले 11 (ग्यारह) माह तक या स्थायी नियुक्ति होने तक जो पहले आये, तब तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

2. कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी कृषि रोड मैप के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य की सभी कृषि संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं किसानों को तकनीकी सहयोग दिए जाने हेतु कृषि समन्वयक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 बनाई गई।

3. कृषि विभाग, विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1191 दिनांक 25.07.13 द्वारा इसके लिए राज्य में कुल 4391 " कृषि समन्वयक" के पद सृजित किये गए है।

4. कृषि समन्वयक के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को पत्रांक–663 दिनांक 21.05.14 द्वारा संसूचित की गई है।

5. कृषि विभागीय ज्ञापांक संख्या–6/स्था0 नियु0–2/13–1096 दिनांक 27.11.2015 के द्वारा कृषि विभाग में चल रही योजनाओं के सूचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु नियोजित कृषि समन्वयकों (2745) को अगले 11 माह तक या स्थायी नियुक्ति होने तक जो पहले आए, तबतक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है।

6. नियोजित कृषि समन्वयकों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

7. इस स्थापना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी होगें तथा कर्मियों के वेतनादि का भुगतान जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय का भार बजट शीर्ष 2401 उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उप शीर्ष–0001 प्रमंडलीय, जिला, अनुमंडलीय स्थापना विपत्र कोड–N2401001090001 विषय शीर्ष अनुग्रह अनुदान की अदायगी मद से वित्तीय वर्ष 2015–16 में की जायेगी।

8. इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 01.09.15 को स्वीकृति संचिका संख्या–6/स्था0 अन्य 70/15 के पृष्ठ संख्या–5/टि0 पर प्राप्त है। विभागीय माननीय मंत्री की स्वीकृति 03/टि0 पर दिनांक 25.07.15 को प्राप्त है।

9. संकल्प में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6/स्था0 अन्य–70/15 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या– 15 पर दिनांक 25.01.16 को प्राप्त है।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 114 कृ0, पटना, दिनांक– 03.2.2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) / उप महालेखाकार (लेखा) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 114 कृ0, पटना, दिनांक– 03.2.2016

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास / वित्त विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 114 कृ0, पटना, दिनांक– 03.2.2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 114 कृ0, पटना, दिनांक– 03.2.2016

प्रतिलिपि :– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / कृषि विभाग (मुख्यालय) एवं सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा / बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेवसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।